



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-18032026-271054
CG-WB-E-18032026-271054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 1331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 17 मार्च, 2026

का.आ. 1396(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989, [रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित] की धारा 2 की खण्ड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विशेष रेल परियोजना अर्थात् झारखण्ड राज्य में उल्लिखित जिलों में “आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना—प्रधानखंडा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन” के संबंध में लोक प्रयोजन के लिए, भूमि अधिग्रहण हेतु स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूपमें कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	जिला भु— अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, झारखण्ड	धनबाद

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 17th March, 2026

S.O. 1396(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989, [as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008] the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below as competent authority to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette with respect to land acquisition for the Special Railway Project namely, “**Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta**” in the State of Jharkhand relating to the districts mentioned in column (3) of the said Table for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Land Acquisition Officer, Dhanbad, Jharkhand	Dhanbad

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer